न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमाक निगरानी 4294--दो / 12 विरूद्ध आदेश दिनांक 7.12.12 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 328 / 120--11 / निगरानी.

प्रताप सिंह पुत्र माधौसिंह रघुवंशी
निवासी ग्राम महिदपुर तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर म0प्र0 ---- आवेदकगण

विरूद्ध

1-- म.प्र. शासन
2-- कमरलाल पुत्र तोफान,
महिला रामबाई पत्नि कमरलाल
निवासीगण ग्राम महिदपुर
जिला अशोकनगर म.प्र ---- अनावेदकगण

श्री एस. के. अवस्थी, जी पी. नायक, अधिवक्ता, आवेदकगण
श्री डी.एन. त्यागी अधिवक्ता अनावेदक कमांक 1
श्री एस.एल. धाकड, अधिवक्ता, अनावेदक कमांक -- 2 एवं 3

:: आदेश ::

(आज दिनांक 04.06.14 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 328 / 120--11 / निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 7--12--12 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत पेश की गई है ।

2-- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31--5--02 द्वारा अन्य भूमिहीन व्यक्तियो के साथ--साथ अनावेदक क 1 एवं 2 के पक्ष मे पटन किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष अपील की जिसमें उन्होने दिनांक 23--4--11 को आदेश पारित करते हुए प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित पटन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध

अनावदेक क्र 1 एव 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की एव अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया । अपर आयुक्त के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3-- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए है कि अपर आयुक्त का आदेश प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति के विपरीत है । उन्होने विवादित आदेश के पद 5 में आवेदक को अपील प्रस्तुत करने का स्वत्वाधिकारी न मानने में भूल की है उक्त आपत्ति एस.डी.ओ. के समक्ष नहीं उठाई गई इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता है । विवादित भूमि सार्वजनिक प्रयोग की है आवेदक उसी ग्राम का निवासी है ऐसी स्थिति में ग्राम के प्रत्येक निवासी को कार्यवाही का अधिकार है । अपर आयुक्त के आदेश के पैरा 5 से ही स्पष्ट है कि प्रारंभिक न्यायालय में उद्घोषणा त्रुटिपूर्ण है । अनावेदकों की पात्रता के संबंध मे स्वयं बिना जाच आकलन करने में अपर आयुक्त ने त्रुटि की है । अनावेदकगण भूमिहीन नहीं है इस कारण वे बटन की पात्रता नहीं रखते हैं ।

4-- अनावेदक क्रमाक 1 द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया ।

5-- अनावेदक क. 2 द्वारा तर्क दिया गया, कि अपर आयुक्त ने विस्तृत आदेश कारण सहित पारित किया है, जिसमे कोई त्रुटि नहीं है अतः उसे स्थिर रखा जाना चाहिए ।

5-- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण आवंटन के संबंध मे है । प्रकरण मे अपर आयुक्त ने सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है । उन्होने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक न तो विचारण न्यायालय मे पक्षकार था न उसका विवादित भूमि से कोई सरोकार है न उसका कब्जा था और ना ही उसका कोई हित निहित था । उद्घोषणा त्रुटिपूर्ण होने के संबध में उनका यह निष्कर्ष उचित है कि वह सम्पूर्ण बटन प्रक्रिया पर लागू होना था केवल आवेदक पर ही नही । अनावेदक के पास भूमि होने के सबध मे भी उन्होने पटवारी मौजा की रिपोर्ट तथा ग्राम पचनामा के आधार पर यह पाया है कि अनावेदक के पास वर्ष 2001--02 के पहले कोई भूमि नही थी और न ही उनके पिता द्वारा दी गई । उक्त आधारो पर अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश

को निरस्त कर निगरानी स्वीकार की गई है । अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख पर आधारित होकर न्यायिक प्रक्रिया के अनुकूल है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर